डॉ. ए. यू.सोनवणे
सचिव , बोर्ड एवं प्रमुख,
नियामक मामले एवं संचार
निदेशालय

Dr. A. U. Sonawane
Secretary to the Board
& Head, Directorate of
Regulatory Affairs &
Communications

सत्यमेव जयते

टेलिफोन/TELEPHONE +91-22-25990609.25990606
(Office), 25550155 (Direct)
वेबसाइट/WEBSITE www.aerb.gov.in
Email: head.drac@aerb.gov.in
नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR
मुंबई /Mumbai - 400 094

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

सं.: **AERB/DRA&C/4.1/2018/** 188 दिनांक **26.12.2018**

प्रेस विज्ञप्ति

एईआरबी ने मेडिकल एक्स-रे इन्स्टॉलेशनों के लिए विकिरण संरक्षा निदेशालय की स्थापना हेतु कर्नाटक सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने विकिरण संरक्षा निदेशालय (डीआरएस) के गठन के लिए दिनांक 22 दिसंबर 2018 को कर्नाटक की राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए । डीआरएस, कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन रहेगा ।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में श्री जावेद अख्तर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक तथा डॉ.ए.यू.सोनवणे, प्रमुख, नियामक मामले एवं संचार, एईआरबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए ।

मेडिकल डायग्नॉस्टिक एक्स-रे उपकरणों का प्रयोग पूरे देश में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यद्यपि मेडिकल डायग्नॉस्टिक एक्स-रे उपकरणों की विकिरण जोखिम क्षमता कम होती है फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें एईआरबी द्वारा निर्धारित विकिरण संरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप इन्स्टॉल व ऑपरेट किया जाए ।

डीआरएस की स्थापना का उद्देश्य है कर्नाटक के डीआरएस को विकिरण संरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य में स्थापित मेडिकल डायग्नॉस्टिक एक्स-रे उपकरणों जैसे कि रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्कोपी, कैथलैब, सीटी उपकरणों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत करना तथा साथ ही प्रशिक्षण व जागरुकता कार्यक्रमों द्वारा आम लोगों में विकिरण संरक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जागरुकता फैलाना ।

एईआरबी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत से कदम उठा रहा है कि मेडिकल डायग्नॉस्टिक एक्स-रे उपकरणों के यूज़र परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत प्रख्यापित परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षा) नियमावली की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करें । इस दिशा में एईआरबी द्वारा उठाए गए उल्लेखनीय कदम हैं; 'मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस' का पालन करते हुए लाइसेंस जारी करने हेतु वेब आधारित सिस्टम, औचक नियामक निरीक्षण तथा मीडिया जैसे कि न्यूजपेपर व रेडीयो द्वारा तथा विभिन्न राज्यों में डीआरएस के गठन द्वारा जागरुकता फैलाना । इस वर्ष आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी मेडिकल एक्स-रे फेसिटियों के लिए डीआरएस का गठन किया है।

(ए.यू.सोनवणे)

टेलिफोन/Telephone: +91-22-25990609
: +91-22-25550155
फॅक्स /Fax : +91-22-25562344
ई-मेल/ E-mail: head.drac@aerb.gov.in
वेबसाइट / Website: www.aerb.gov.in

सत्यमेव जयते

नियामक भवन / NIYAMAK BHAVAN
अणुशक्तिनगर / ANUSHAKTINAGAR
मुंबई / MUMBAI - 400 094

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

डॉ. ए. यू. सोनावणे
प्रमुख, नियामक मामले एवं
संचार निदेशालय

Dr. A. U. Sonawane
Head, Directorate of Regulatory
Affairs & Communications

Ref: AERB/DRA&C/PR/4.1/2018/188

December 26, 2018

PRESS RELEASE

AERB Signs MoU with Government of Karnataka for establishing Directorate of Radiation Safety (DRS) for medical X-ray facilities

Atomic Energy Regulatory Board (AERB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on December 22, 2018, with the State Government of Karnataka towards formation of the Directorate of Radiation Safety (DRS) for medical X-ray facilities located in Karnataka. The DRS will be under the control of Department of Health & Family Welfare, Government of Karnataka.

The MoU was signed by Mr. Jawaid Akhtar, Principal Secretary, Department of Health & Family Welfare of Karnataka and Dr. A.U. Sonawane, Head, Directorate of Regulatory Affairs and Communication, AERB in presence of Commissioner, Health and other senior officials of State Government.

Medical diagnostic X-ray equipment are being used extensively in the healthcare sector throughout the country. In case the medical X-ray equipment is not properly installed and used, it may pose radiological risk to the patient and the staff. Though these X-ray equipment are of low radiation hazard potential, it is important that they are installed and operated in accordance with the radiological safety requirements specified by AERB.

The objective of formation of the DRS is to authorise the DRS of Karnataka to carry out radiation safety inspections of the medical diagnostic x-ray equipment, i.e. general radiography, dental x-ray machine, fluoroscopy, Cathlab, CT equipment installed in the State as well to spread awareness on radiation protection & applicable regulations by organising training and awareness programmes.

AERB has been taking many steps towards ensuring that users of medical diagnostic X-ray equipment comply with the requirements of Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004, promulgated under the Atomic Energy Act, 1962. Notable steps by AERB, in this direction are web-based system of issuance of Licences (eLORA), to adhere to "Minimum Government, Maximum Governance" through, surprise regulatory inspections and awareness through media, such as newspapers, radio jingles, AV tools and through formation of DRS in various states. This year, the Government of Andhra Pradesh has also formed DRS for medical x-ray facilities.

(A.U.Sonawane)